बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं./53/2021–485

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 15/06/2021

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत NH-82, NH-31, SH-71 एवं RCD पथ से आयुद्ध कारखाना पथ के किनारे इंडियन ऑयल–अदानी गैस प्रा० लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.705 हे० वन भूमि का "भौगोलिक हेड (गया एवं नालंदा) इंडियन ऑयल–अदानी गैस प्रा० लि०, गया के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 07.11.2014 एवं पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. नालंदा जिलान्तर्गत NH-82, NH-31, SH-71 एवं RCD पथ से आयुद्ध कारखाना पथ के किनारे इंडियन ऑयल–अदानी गैस प्रा० लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.705 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु भौगोलिक हेड (गया एवं नालंदा) इंडियन ऑयल–अदानी गैस प्रा० लि०, गया का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	नालंदा	0.705	0
	कुल	**0.705**	**0**

3. प्रस्तावित गैस पाईप लाईन नालंदा जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1647 (ई0) दिनांक 20.12.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.705 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा एवं वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित पाईप लाईन का मार्गरेखन राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी से बाहर है। परन्तु परियोजना अन्तर्गत गुजरने वाले पाईप लाईन (एकंगरसराय–इसलामपुर–राजीगर–गिरियक–पारवत्तीपुर पथ SH-71)–राजगीर–पुलिस एकेडमी पिलखी गाँव के पास राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र के इको संसेटिव जोन से गुजरता है। परियोजना निर्माण के क्रम में Environmental Clearance आवश्यक नहीं होने के कारण Wildelife Clearance आवश्यक नहीं है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.1 अंकित किया गया है। प्रस्तावित गैस पाईप लाईन को मूल टोपोशीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

7. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये FRA, 2006 प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

8. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.705 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,41,330/– की 50% राशि रू० 2,20,665/–(रूपये दो लाख बीस हजार छः सौ पैसठ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

10. प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

11. Laying of underground CNG and PNG पाईप लाईन अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

12. अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15.6.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

नालंदा जिलान्तर्गत NH-82, NH-31, SH-71 एवं RCD पथ से आयुद्ध कारखाना पथ के किनारे इंडियन ऑयल–अदानी गैस प्रा० लि० द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG and PNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.705 हे. वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित Geo-referenced नक्शा	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
8	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

15.6.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।